LLB Three Year (IInd Sem)

LLB five Year (VIth Sem)

Unit- II

Negligence Basic Concepts definition and essentials Act Witch Constitute Negligence .

Theories of negligence doctrine of Contributory Negligence.

Resipsa loquitor and its importance liability of common carriers for Negligence.

Nuisance definition essential and types.

Defamation - definition essential and defenses.

Negligence उपेक्षा :–

उपेक्षा को एक स्वतन्त्र अपकृटय भी माना जाता है।

अपकृटय विधि के अन्तर्गत अपेक्षा के दो अर्थ होते ह।

01 किसी अपकृत्य को अपेक्षापूर्वक कारित करना।

उराहरण– असावधानी के साथ अविचार न्यूरेन्स अथवा मानहानि करित करना।

02 अपेक्षा को एक पृथक अपकृत्य भी माना जाता है अतः ऐसा आचरण जो क्षति करित करने की जोखिम का सूजक करता है यहां अपेक्षा का तात्पर्य मानसिक स्थिति नहीं है।

अपेक्षा की अनेक विधिशास्त्रियों द्वारा परिभाषा दी गई है तथा विभिन्न न्यायिक निर्णयों मे भी इसे परिभाषित किया गया है–

प्रो0 विनफील्ड के अनुसारअपेक्षा की अनेक विधिशास्त्रियों द्वारा परिभाषा दी गई है तथा विभिन्न न्यायिक निर्णयों मे भी इस परिभाषित किया गया है–

प्रो0 विनफील्ड के अनुसार–

उपेक्षा के ऐसे मामलों में जहां सावधानी वरतना विधी द्वारा अपेक्षित होता है सावधानी वरतने के विधिक कर्तव्य का उल्लघंन किया जात है।

न्यायधीश बी एन्डसरन के अनुसार–

उपेक्षा से अभिप्राय है ऐसे कार्य के प्रतिविरत रहना या उसका लोप करना जिसे युक्ति युक्ति व्यक्ति मानवीय कृत्यों को जो विचार सामान्यता नियन्त्रित करते है, से मार्गदर्शित होकर करना अथवा ऐसस कोई कार्य करना जिसे कोई प्रज्ञावन या युक्ति–2 व्यक्ति नहीं करता हैं।

अपेक्षा को कार्यवाही में वादी को निम्न कृत्य सिद्व करना आवश्यक है–

01 प्रतिवादी का वादी के प्रति सावधानी बरतने का विधिक कर्तव्यः–

02 प्रतिवादी ने ऐसे विधिक कर्तव्य को भंग किया

03 ऐसे भंग के परिणाम स्वरूप वादी को क्षति हूई

01 प्रतिवादी का वादी के प्रति सावधानी बरतने का विधिक कर्तव्यः–

डोनोध ब0 स्टेवेन्सन (1932)

के वाद में लार्ड एटकिन ने निम्न निमय प्रतिवादित किया–

ऐसे कर्तव्यों अथवा लोपों से बचने में आप अवश्य ही युक्ति–युक्ति सावधानी का कर्तव्य करें जिसके निमित्त आप यह पूर्वानुमान कर सकते हैं कि वे सम्भाव्यतः आपके पड़ोसी का क्षति पहुचा सकते है।

लार्ड एटकिन ने पड़ोसी की परिभाषा में कहा कि पड़ोसी ऐसे व्यक्ति हैं जो मेरे कार्य से इतनी निकटता और प्रत्यक्षता को साथ प्रभावित होते हैं कि मै ऐसा कार्य या लोप करते समय यह युवितयुक्त सोच सकता हूँ कि वह उनसे प्रभावित हागे।

डोनोद्य ब0 स्टेवेन्सनः–

के मामने में हाउस आफ लार्ड ने अवधारित किया कि जिंजर रियर का निर्माता वादी के प्रति सावधानी रखने के कर्तव्य धारण करता था उसका यह कर्तव्य था कि वह देखे कि बोतल में कोई हानिकारक तत्व न मिलने पाये और यदि वह अपने इस कर्तव्य पालन में विफल रहता है तो वह उसके लिये उत्तरदायी होगा।

सावधानी के बर्ताव का कर्तव्य क्षति की युक्ति युक्त

पूर्वकल्पना पर निर्भर करता है–

रूरल ट्रान्सपोर्ट सर्बिस

ब0 1980

बेजलम बीबीः–

के वाद में अवधारित किया गया कि बस के ड्राइवर और कन्डक्टर दोनों व्यक्तियों की ओर से बस से संचालन में उपेक्षा बरती गयी थी और प्रतिवादी उसके लिये उत्तरदायी थे।

म्युनिस्पल कारपोरेशन आफ देहली

ब0 1960

सुभागवन्ती–

के बाद में उच्चतम न्यायलय ने अवधारित किया कि म्युनिस्पल कारपोरेशन द्वारा इस इमारत की देखरेख में लापरवाही वरती गई थी तथा उसके लिये उसे उत्तरदायी ठहराया गया।

यूनियन आफ इण्डिया

ब0 1973

सुप्रिया घोष

के वाद में न्यायलय से यह अवधारित किया कि गाड़ी आने के समय रेल फाटक का बन्द न किया जाना रेल प्रशासन की उपेक्षा का घोतक है और उसके लिये अत्तरदायी थे।

जहॉ क्षति की पूर्वकल्पना नहीं वहां उत्तरदायी भी नहीः–

केट्स ब0 मोन्गिनी ब्रदर्स 1917 के वाद में यह अवधारित किया गया कि चूँकि क्षति का पूर्वानुमान किया जाना सम्भव नहीं था अतः प्रतिवादी गण उसके लिये उत्तरदायी नहीं थें और वे महिला वादी की क्षति के निमित्त भी उत्तरदायी नहीं थे।

युक्तियुक्त पूर्वकल्पनीयता की तात्यपर्य

दूरवर्ती सम्भाव्यता नहीः–

यदि कोई व्यक्ति तेज गति से आने वाले यान के समक्ष आचानक आ जाता है और उससे टकरा जाता है तो इसके लिये यान के चालक को दोषी नहीं ठहराया जा सकता है। इस आश्य का निर्णय–

सुखराजी

ब0 स्टेट रोड ट्रान्सपोर्ट कारपोरेशन कलकत्ता

के वाद में न्यायलय ने यह अवधारित किया कि यान के चालक को आपेक्षा के लिएक अत्तरदायी नहीं बनाया जा सकता क्योंकि मृतक बालक स्वंय ही असावधान था।

डा0 टोकुधा

ब0

अपोलो हास्पिटल प्रा0लि0

प्रश्न यह था कि चिकित्सक का रोगी के रोग को गोपनीय रखने का किस सीमा तक कर्तव्य है।

यह धारित किया गया कि जब जनहित में किसी अन्य व्यक्ति को तत्काल अथवा भविष्य में होने वाले स्वास्थ में खतरे को बचाने के लिये एक रोगी का रोग प्रकट किया जाता है तो वहां गोपनीयता का सिद्वांत लागू नहीं होता है।

02 कर्तव्य भंगः–

कर्तव्य भंग का ताप्पर्य सम्यक सावधानी का अनुपालन न करना है जो किसी परिस्थित विशेष में करनी चाहिए।

डाक्टर लक्ष्मण बालकृष्ण जोशी

ब0

डाक्टर तिम्बक वापू गोठबोले 1969

में उच्यतम न्याय ने चिक्त्सिक के उपेक्षा का दोषी ठहराते हुऐ कहा कि यदि कोई व्यक्ति चिकित्सकीय परामर्श और उपचार देने के लिए तत्पर हो जाता है तो वह निवासिततः उपक्रम करता है कि वह उस प्रयोजन के निमिष्त चातुर्थ और ज्ञान से युक्त है।

स्टेट आफ बिहार

ब0 1996

एस0 के0 मुखर्जी

ने यह धारित किया कि कोसी नदी अपनी अव्यवस्थित और भयानक धारा के लिये प्रसिद्व है और नाव के साथ जीवन–रक्षक सधनों को न सुलभ कराना उपेक्षा का निर्माण करता है अतः उसके लिये राज्य को उत्तरदायी ठहराया गया।

03 क्षतिः–

उपेक्षा के लिए यह भी आवश्यक है कि प्रतिवादी के कर्तव्य भंग के परिणाम स्वरूप वादो की अवश्य ही कुछ क्षति कारित हुई हो। वादी को यह भी दिखलाना आवश्यक है कि उसको करित की गई क्षति प्रतिवादी की उपेक्षा का दूरवर्ती परिणाम नहीं है।

बोल्टन ब0 स्टोनः–

के वाद में हाउस आफ लार्डस ने धारति किया कि प्रविवादीगण उपेक्षा के लिये उत्तरदायी न थे क्योंकि इतनी लम्बी अवधि में क्रिकेट की गेंद से किसी व्यक्ति को क्षतिग्रस्त होने का अवसर अत्यन्त कम था क्योंकि जोखिम की सम्भावना भी सारवान नहीं थी।

Res ipsa Loquiture स्वयं प्रमाण :–

अपेक्षा के सम्बन्ध में एक महम्वपूर्ण सिद्वान्त है कि जिसे रेस इप्सा लोक्यूटर कहते ह इसका तात्पर्य है वस्तु अपने आप स्वयं बोलती है अतः उपेक्षा की उपधारणा होता है।

सामान्य सिद्वान्त के रूप में यह सिद्व करना वादी का कार्य है कि प्रतिवादी लापरवाह (उपेक्षावान) था यदि वादी प्रतिवादी की उपेक्षा को सिद्व नहीं कर पाता तो प्रतिवादी की उत्तरदायी नहीं बनाया जा सकता है।

परन्तु जब किसी दुर्घटना से केवल एक ही निष्कर्ष निकलता है और वह यह कि दुर्घटना साधारणतया तब तक धारित नहीं हो सकती थी जब तक कि प्रतिवादी स्वंय लापरवाह न होता तब विधि के अन्तर्गत प्रतिवादी पर उपेक्षा की उपधारणा बनी है। इस प्रकार प्रमाण का भार वादी पर से स्थानान्तरित होकर प्रविवादी पर चला जाता है।

यह सिद्वांत विधि का नियम नहीं है बल्कि यह साक्ष्य का नियम है और इस नियम का लाभ यह है कि वादी को उपेक्षा को सिद्व करने की आवश्यकता नहीं होती है।

पुष्पाबाई उडेसी

ब0 1977

मेसर्स रणजीत जिनिंग एण्ड प्रोसेसिंग कं0 प्र0लि0

के वाद के पुरूत्तोम लाल की प्रतिवादी के वाहन में यात्रा करते समय दुर्घटना में मृत्यु हो गई वाहन प्रतिवादी का मैनेजर चला रहा था वाहन उतावलोपन एवं उपेक्षापूर्व रीति के चलाया जा रहा था इस वाद में उच्चत्तम न्यायलय ने कहा कि Res ipsa Loquiture के सिद्वान्त को लागू करने के लिये यह समुचित मामला है अतः प्रतिवादी को यह साबित करना होगा कि वाहन उतावलेपन एवं उपेक्षा पूर्व ढंग से नहीं चला रहा था।

म्युनिस्पल कारपोरेशन ऑफ देलही

बनाम 1966

सुभागवन्ती

के वाद में उच्चत्तम न्यायालय ने अवधारित किया कि घंटाघर का गिरना स्वयं ही अपनी कहानी कहता है क्योंकि उसकी मरम्मत की आवश्यकता थी इससे प्रतिवादी की उपेक्षा की उपधारणा होती है अतः प्रतिवादी चूँकी अपनी उपेक्षा की अनुपस्थिति साबित नहीं कर सके अतः उन्हे उत्तरदायी ठहराया गया।

योगदायी उपेक्षाः– (Contributory Negligence)

योगदायी उपेक्षा का अभिप्राय प्रतिवादी के साथ–साथ वादी की अपनी उपेक्षा से है जिसके कारण होने वाले दुष्परिणाम को रोका न जा सके।

यदि क सड़क पर गलत साइड से जाते समय विपरीत दिशा से आने वाले ख द्वारा चलित (उतावलेपन से) वाहन से टकरा जात है तो क द्वारा ख के विरूद्व वाद लाने पर ख न्यायी उपेक्षा का दोषी है।

रूरल ट्रांसपोर्ट सर्विस ब0 वेजलुम बीबी

डेवीज ब0 स्वान मोटर कम्पनी लि0

के वाद मे जे वैरोर पार्क ने कहा कि यदि ऐसा न किया गया तो कोई भी व्यक्ति लोकमार्ग पर छूटे माल को अथवा उस पर सो रहे किसी व्यक्ति को भी कुचल देने मे या जानबूझकर गलत पक्ष की ओर जा रहे यान को टकरा देने को न्यायसंगत सिद्व करेगा।

इसे अन्तिम अवसर का सिद्वान्त कहा जाता है। इस नियम के अनुसार जब दो व्यक्ति लापरवाह हो तब वह व्यक्ति हानि के लिए उत्तरदायी होगा जिसे सामान्य सावधानी वरत कर दुर्घटना को बचाने का अन्तिम अवसर प्राप्त था।

लॉ रिफार्म (कान्ट्रीब्यूटरी नगलीजेंस) एक्ट 1945

मे व्यवस्था की गई है कि –

जहां कोई व्यक्ति स्वयं अपनी गलती से और अंशता किसी अन्य व्यक्ति अथवा व्यक्तियों की गलती से क्षतिग्रस्त होता है तो उस क्षति के सम्बन्ध में कोइ दाव मात्र इस कारण विफल नहीं हो जायेगा कि वह व्यक्ति स्वयं भी गलत था जो क्षतिग्रस्त हुआ है वरन् उस सम्बन्ध में वसूली योग्य नुकसानी उस सीमा तक कम कर दी जायेगी जितना की न्यायलय क्षति के लिए जिम्मेदारी में दावेदार के अंश को ध्यान में रखते हुये न्यायपूर्व और उचित समझे।

भारत में क्षतिपूर्ति के अभिभाजन का सिद्वान्तः–

भारत में इंग्लैण्ड के लॉ रिफार्म ऐक्ट 1945 के अनुरूप कोई केन्द्रीय अधिनियम नहीं है परन्तु भारत में न्यायालयों ने लॉ रिफार्म एक्ट 1945 के अनुरूप नुकसानी के अभिभाजन के सिद्वांत के स्वीकार किया है।

रूरल ट्रांसपोर्ट सर्विस

ब0 1980

बेजलूम बीबी0

विधा देवी

ब0

मध्य प्रदेश स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कारपोरेशन

सुधाकर ब0 1975

मैसूर स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कारपोरेशन

Nuisance उपतापः–

प्रत्येक व्यक्ति को यह अधिकार है कि वह अपनी भूमि का अबाध रूप से प्रयोग कर सके अगर कोई भी व्यक्ति किसी व्यक्ति के इस अधिकार में व्यवधान पहुचाता है जिससे उसके आराम, सुरक्षा एवं स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है तो ऐसा कार्य न्यूसेंस सा उपताप कहलात है।

परिभाषाः–

सामाण्ड के अनुसारः–

जब प्रतिवादी अपनी भूमि से या कही अन्यत्र से ही हानिकारक वस्तुओं को बिना विधिक औचित्य के वादी की भूमि में जाने देता तो उसे उपताप कहते है।

विनफील्ड के अनुसारः–

न्येसेंस किसी व्यक्ति की भूमि के या उनके ऊपर या उनसे सम्बन्धित किसी अधिकार के प्रयोग या उपभोग में अवैध हस्तक्षेप है।

पोलक के अनुसारः–

न्यूसेंस ऐसा अपकृत्य है जिसमें एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति की सम्पत्ति के उपभोग में अथवा सामान्य अधिकारों के प्रयोग में बाधा करता है।

न्यूसेंस के प्रकारः–

न्यूसेंस दो प्रकार के होते है–

01 लोक न्यूसेंस

02 प्राइवेट न्यूसेंस

लोक न्यूसेंसः–

लोक न्यूसेंस एक ऐसी बाधा है, अथवा ऐसा हस्तक्षेप है जो सामान्य जनता के अधिकार के साथ किया जाता है जो कि एक अपराध के रूप में दण्डनी है। जैसे–

लोक मार्ग पर अवरोध पैदा करना, लोकमार्ग आदि पर स्थित मकान को ध्वस्त स्थिति में रखना, सड़क पर पटाखे फेकना आदि लोक न्यूसेंस को भारतीय दण्ड संहिता की धारा 268 मे परिभाषित किया गया है।

प्राईवेट न्यूसेंसः–

यह एक अपकृत्य है इसके निम्न आवश्यक तत्व है–

01 अयुक्तियुक्त व्यवधान, बाधा अथवा हस्तक्षेप

02 व्यवधान वाधा अथवा हस्तक्षेप भूमि के प्रयोग अथवा उपभोग के साथ हो

03 क्षति

01 आयुक्तिमुक्त बाधा, व्यवधान अथवा हस्तक्षेपः–

प्रत्येक बाधा या हस्तक्षेप जो वादी को क्षति कारित करता है न्यूसेंस की श्रेणी में नही आता। आधुनिक समाज में सभी लोग अपने अधिकारों का प्रयोग कर सकें इसके लिये यह आवश्यक है कि प्रत्येक व्यक्ति जो कुछ असुविधाओं, जो कि सामाजिक परिप्रेक्ष्य में अपरिहार्य है, बदस्टि करे। किन्तु जब यह बाधा अथवा हस्तक्षेप युक्तियुक्त नहीं रह जाता है तो प्राईवेट न्यूसेंस के लिए वाद लाया जा सकता है।

उषा बेन

ब0 1978

भाग्य लक्ष्मी चित्रमन्दिर

के वाद में यह धारित किया गया कि धार्मिक भावना को चोट पहुचाना कार्यवाही योग्य अपकार नहीं है क्योकि वादी दुबारा उस चित्र को देखने के लिए स्वतन्त्र है। यह माना गया कि सुविधा का सन्तुलन प्रतिवादी के पक्ष में है अतः वाद की परिस्थितियों के अनुसार न्यूसेंस की उपस्थिति स्वीकार कर दी गई।

संवेदनशील वादीः–

यदि कोई शोरगुल किसी मामूली व्यक्ति को व्यवधानित अथवा विक्षुब्ध नहीं बनाता बरन् वह केवल वादी को उसके कार्य अथवा निद्रा में उसकी अत्यधिक संवेदनशीलता के कारण व्यवधान उत्पन्न करता है तो वह वादी के प्रतिकूल न्यूसेंस नही माना जायेगा।

राबिन्सन ब0 किलबर्ट 1989

दुर्भावनाः–

मेयर आफ ब्रैडफोर्ड कारपोरेशन ब0 पिकिल्स 1895

के वाद मे हाउस आफ लार्डस ने यह धारित किया कि यदि कोई कार्य अन्यथा विधिपूर्ण है तो वह मात्र इस कारण विधि–विरूद्व नहीं बन जाता है क्योंकि उसे किसी दुष्प्रयोजन के साथ किया गया है।

02 ऐसे व्यवधान बाधा अथवा हस्तक्षेप भूमि के प्रयोग अथवा उपभोग के साथ होः–

सेन्ट हेलेनस स्मेल्टिंग कम्पनी

ब0 1865

टिरिपंग

के वाद में प्रतिवादी की कम्पनी से निकली भाप के कारण वादी वृक्षों और झाड़िसों को क्षति पहुची थी यह क्षति चूँकी सम्पत्ति की क्षति थी अतः यह धारित किया गया कि प्रतिवादीगण उसके लिए उत्तरदायी थे।

बाल ब0 रे 1873

के वाद में धारित किया गया कि कोई भवन जिसे घुडसाला के रूप में परिवर्तित कर दिया गया और बांधे गये घोड़ों से रातभर शोरगुल उत्पन्न होता है जिसके परिणामस्वरूप पड़ोसियों को विघ्न बाधा और हस्तक्षेप होता है न्यूसेंस है।

क्षतिः–

न्यूसेंस की किसी कार्यवाही में वास्तविक क्षति का सिद्व किया जाना अपेक्षित है

बारबर ब0 पेन्ले 1893

के वाद धारित किया गया कि अवरोध एक प्रकार का न्यूसेंस था और थियेटर के प्रबन्धक वर्ग उसके लिये उत्तरदायी ठहराया गया।

डवायर ब0 मैन्सफील्ड

के वाद में यह धारित किया गया कि प्रतिवादी उत्तरदायी नही था क्योकि उसका कार्य आयुक्तियुक्त नहीं था वह तो आलुओं की कमी की अवधि में सामान्य ढंग से अपना कारोबार चला रहा था।

न्यूसेंस के विरूद्व उपचार

01 उपशमनः–

इसका अर्थ है कि प्रभावित पक्ष द्वारा न्यूसेंस को हरा देना प्रतिवादी स्वंय भी न्यूसेंस को समाप्त कर सकता है।

02 नुकसानीः–

नुकसानी का दावा न्यूसेंस के विरूद्व एक उपचार है। जो व्यक्ति न्यसेंस से प्रभावित होते हैं वे नुकसानी के लिए कार्यवाही कर सकते है।

03 प्रतिषेघात्मक व्यादेशः–

प्रतिषेघात्मक व्यादेश प्राप्त करने के लिए यह साबित करना पडता है कि आघात की गम्भीरता या स्थायी स्वरूप को देखते हुये नुकसानी इसका समुचित उपाय नहीं होगा इसलिये प्रतिषेघात्मक व्यादेश जारी किया जाये।

मानहानिः–

प्रतिष्ठा का अधिकार व्यक्ति की सर्वोत्तम मूल्यवान सम्पत्ति मानी जाती है व्यक्ति की प्रतिष्ठा उसके आचार–विचार और आचरण पर निर्भर करती है इसलिये कहा जाता है कि खोई हुई सम्पत्ति पुनः प्राप्त की जा सकती है परन्तु खोई हुई प्रतिष्ठा कभी भी वापस नहीं आती है। इसलिये मानहानि (प्रतिष्ठा की क्षति) को अपराध के अलावा एक अपकृत्य भी माना गया है।

परिभाषाः–

मानहानि प्रतिवादी द्वारा किया गयास ऐसा कृत्य है जिसके प्रसारण से किसी व्यक्ति (वादी) की समाज के सामान्य व्यक्तियों की दृष्टि में प्रतिष्ठा गिर जाती है या जिसके कारण वे उस उस व्यक्ति के कतराने लगते है या उससे बचने लगतें है। यदि यह स्थायी स्वरूप का हो तो इसे अपमान लेख कहा जाता है और यदि यह केवल शब्दो या भावभंगिना द्वारा प्रदर्शित किया जाता है तो इसे अपमान वचन कहा जाता है।

इंग्लिश विधि में मानहानि की कार्यवाहीयों को अपमान लेख और अपमान वचन में विभाजित किया गया है।

भारतीय विधि में अपमान लेख एवं अपमान वचन में कोई अन्तर नहीं किया गया है भारतीय दण्ड संहिता की धारा 499 के अन्तर्गत अपमान लेख और अपमान वचन दोनों ही दाण्डिक अपराध बताये गये हैं।

जबकि इंग्लिस अपराधिक विधि के अन्तर्गत अपमान लेख और अपमान वचन में अन्तर किया गया है इसके अन्तर्गत अपमान लेख अपराध है जबकि अपमान वचन कवल दीवानी अपकार है।

मानहानि के आवश्यक तत्वः–

मानहानि के अपकृत्य की संरचना के लिए वादी को निम्न आवश्यक तत्वों को सिद्व किया जाना आवश्यक है–

01 कथन मानहानिकारक हो

02 कथन वादी के प्रति निर्दिष्ट होना चाहिये।

03 ऐंसे कथन को प्रकाशित होना चाहिए

01 कथन मानहानिकारक होः–

मानहानि के वाद में सर्वप्रथम वादी को यह सावित करना होगा कि प्रतिवादी ने जो कथन दिया है वह वदी के प्रति विद्वेष की भावना से किया था जिसका प्रतिवादी के पास कोई उचित कारण नही था।

पी0आर0 पेशियाकरूप्पन

ब0

चोला चिट्स एण्ड फण्ड फाइनेंस प्रा0लि0 2005

के वाद में प्रतिवादी ने चिट्फण्ड कम्पनी में होन वाली अनिर्यामतताओं के बारे में ज्ञापन दिया जिसके कारण कम्पनी को जांच आदि का सामना करना पडा लेकिन कम्पनी के विरूद्व कोई कार्यवाही नहीं की गई आन्धप्रदेश उच्च न्यायालय ने प्रतिवादी की इस कार्यवाही को मानहानिकारक नहीं माना न्यायालय ने यह भी निश्चित किया कि उक्त ज्ञापन को प्रकाशन नहीं माना जा सकता है।

02 कथन वादी के प्रति निर्दिष्ट होना चाहियेः–

यदि प्रकाशित शब्द इस प्रकार किये जाते है कि वे वादीं को निर्दिष्ट किये गयें हैं तो प्रतिवादी उत्तरदायी होगा और प्रतिरक्षा के रूप में यह मान्य नहीं होगा कि प्रतिवादी का आश्य वादी की मानहानि करना नहीं था।

न्युस्टेड ब0 लन्दन एक्सप्रेस न्यूजपेपर्स लि

के वाद में प्रतिवादी ने एक लेख प्रकाशित किया जिसमें यह कहा गया था कि हेरोल्ड न्युस्टेड, केम्बरबेल निवासी द्विविवाह के लिए दोषसिद्व किया गया था यह कहानी केम्बरबेल के एक शराब विक्रेता हैरोल्ड न्युस्टेड के सन्दर्भ मे सत्य थी लेकिन मानहानी की कार्यवाही एक दूसरे व्यक्ति हैरोल्ड न्युस्टेड द्वारा लाई गई थी जो कैम्बरबेल की बृज्जाम था प्रकाशित शब्दों को यह माना गया कि वे वादी को निर्दिष्ट हैं और प्रतिवादी को उत्तरदायी ठहराया गया।

03 कथन प्रकाशित किये गये होः–

प्रकाशन से तात्पर्य यह है कि अपमान लेख या कथन वादी के अलावा किसी अन्य व्यक्ति (तृत्तीय व्यक्ति) के ज्ञान मे आये यदि मानहानिकारक लेख या कथन वादी के अतिरिक्त किसी अन्य व्यक्ति के ज्ञान में नहीं आता तो वादयोग्य नहीं होगा।

एम0सी0 वर्गीस

ब0 1970

टी0जे0 पुन्नन

के वाद में पति द्वारा अपनी पत्नी को लिखे गये पत्र में पत्नी के पिता के बारे कोई अपमानजनक बात लिखी गई जिसे उसने अपने पति के पास भेज दिया पत्नी के पिता अपति प्रतिवादी के श्वसुर द्वारा मानहानि का वाद लाये जाने पर न्यायालय ने इसे इस अधार पर खारिज कर दिया कि उक्त पत्रों की सत्यता सिद्व करने के लिए पत्नी को साक्षी के रूप में गवाही देने के लिये नहीं बुलाया जा सकता है।

मानहानि के लिए प्रतिरक्षाः–

मानहानि के वाद में पतिवादी को निम्नलिखित बचाव उपलब्ध होते हैः–

01 कथन की सत्यता या औचित्यः–

मानहानि की दीवानी कार्यवाही में विषय वस्तु की सत्यता एक पूर्ण प्रतिरक्षा है

एलेक्जेन्डर ब0 नार्थईस्ट रेलवे कम्पनी

के वाद में न्यायालय ने वाद को खारिज करते हुये धारित किया कि कथन (Sunstantially)सोरता सत्य था इसलिये प्रतिवादी को उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता है।

02 उचित टीका– टिप्पणी :–(Fair Comment)

इस वचाव के लिए प्रतिवादी को निम्न तथ्यों को साबित करना होगा–

01 किया गया कथन एक टीका या अपने विचार की अभिव्यक्ति मात्र है न कि तथ्यों का प्राच्यान

02 वह लोक हित के लिये हो

03 विशेषाधिकारः– (Privilege)

संसद या विधानमण्डल के सदस्यों को सदन की कार्यवाहीयों व चर्चा के दौरान अपने विचार निभीकतापूर्वक अभिव्यक्त करने की छूट प्राप्त है चाहे उनके द्वारा प्रयुक्त किये गये शब्दों आदि से किसी की मानहानि क्यों न हुई हो।